



# हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

प्रीत विहार, दिल्ली रोड, हापुड़-245101. ☎0122-2308764-65  
वेबसाइट: www.hpdaonline.com, ई-मेल: hpda\_1@rediffmail.com

पत्रांक

593/ अधी० अभि०/एच०पी०डी०ए०/2023

दिनांक: 11.09.2023

उपाध्यक्ष हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की ओर से हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों से सहपठित नियम व शर्तों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।


क्र० सं०	कार्य का नाम	अनु० घनराशि (रु. लाख में)	निविदा मूल्य (रु. में)	धरोहर राशि (रु. में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पंजीकरण श्रेणी	ई-निविदा डाउनलोड करने की प्रारम्भिक तिथि	ई-निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	ई-निविदा खोले जाने की तिथि तथा समय
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	गढ़मुक्तेश्वर में मेला रोड पर पहली पुलिया से दूसरी पुलिया तक सड़क पर ब्लॉक टॉप का कार्य।	46.19	2360.00	231000.00	03 माह	सिविल विशिष्ट श्रेणी	13-09-2023	20.09.2023, 1.00 PM	20.09.2023, 3.00 PM
2	गढ़मुक्तेश्वर में मेला रोड पर पुरानी/पहली पुलिया से जिला पंचायत गेट तक की सड़क (सी०सी० रोड) का कार्य।	102.17	5900.00	504500.00	03 माह	सिविल विशिष्ट श्रेणी	13-09-2023	20.09.2023, 1.00 PM	20.09.2023, 3.00 PM
3	आनंद विहार योजना के ब्लॉक जी का अवशेष आंतरिक विकास कार्य	477.97	5900.00	1256000.00	12 माह	सिविल विशिष्ट श्रेणी	13-09-2023	09.10.2023, 1.00 PM	09.10.2023, 3.00 PM

नियम व शर्त:-

- निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि केवल RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा प्रपत्र में उल्लेखित बैंक खाते में जमा करायी जायेगी।
- क्रम संख्या-01 से 03 पर अंकित कार्यों की निविदा 2 -बिड सिस्टम पर आमंत्रित है।
- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा देने से पूर्व निविदादाता स्थल का निरीक्षण अवश्य कर ले। किसी भी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।
- निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक निविदा दाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइट को देखते रहें। निविदाओं के संबंध में कोई परिवर्तन/परिवर्धन विषयक सूचना प्राधिकरण की वेबसाइट [www.hpdaonline.in](http://www.hpdaonline.in) पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
- श्रम विभाग हापुड़ में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा एवं उक्त के साथ साथ कार्य के दौरान यदि किसी श्रमिक की कार्य स्थल पर मृत्यु होती है, या गम्भीर क्षति पहुंचती है तो उस स्थिति में सन्निर्माण कर्मकार अपने अधीन नियोजित श्रमिक को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी होगा।
- ठेकेदार को श्रमिकों के नियमानुसार ई०पी०एफ०/ई०एस०आई०सी० के प्राविधानों एवं सुरक्षा उपायों का अनुपालन करना होगा
- विशिष्ट श्रेणी के कार्य हेतु ठेकेदार/फर्म को प्राधिकरण में पंजीकृत होने की वाध्यता नहीं है। अपितु सफल निविदादाता होने की स्थिति में उसको अनुबंध निष्पादन से पूर्व प्राधिकरण में फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

पृष्ठांकन- तदैव।  
प्रतिलिपि:

- सचिव/वित्त नियंत्रक को सूचनाार्थ प्रेषित।
- अधिसासी अभियंता (सिविल), प्रमारी विद्युत एवं प्रमारी उद्यान को इस आशय से प्रेषित की दिनांक 13.09.2023 को सायं 3:00 बजे तक संबंधित निविदा को अपलोड कराना सुनिश्चित करें
- संबंधित सहायक अभियंता को निविदा प्रपत्र सॉफ्ट कॉपी में नियत तिथि से 2 दिन पूर्व अवर अभियंता तकनीकी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

  
अधीक्षण अभियंता  
हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण  
हापुड़

अधीक्षण अभियंता